"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 88] नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 फरवरी 2026 — माघ 30, शक 1947

गृह (सी–अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18 फरवरी 2026

अधिसूचना

क्रमांकः– LAW-42/185/2026-HOME SECTION. – प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा विभागीय आदेश क्रमांक एफ–4–325/गृह–सी/2005, दिनांक 21–05–2025 को अधिकमित करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम 2021 के सुगम एवं कार्य प्रणाली के सुचारू रूप से संचालन हेतु श्री रमेश कुमार शर्मा, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को ''नियंत्रक प्राधिकारी'' एवं अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को ''अपीलीय प्राधिकारी'' नियुक्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. चौहान, उप–सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.